

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 11/2020 (2020/00031)

दर्ज दिनांक 07.02.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. नानालाल पिता उदेराम पूर्विया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता लेहरू पूर्विया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. हीरालाल पिता लेहरू पूर्विया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. नाथू पिता चम्पालाल पूर्विया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. लक्ष्मण पिता चम्पालाल पूर्विया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. सतु पिता तोलीराम गुवारिया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. कन्हैयालाल पिता भवानीशंकर गुवारिया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. अक्षय पिता सुरेश चन्द्र खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. अशोक पिता प्यारचन्द खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. ख्यालीदेवी पत्नि प्यारचन्द खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. दीपक पिता सुरेश खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. सुभाष पिता प्यारचन्द खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. पारसी पत्नि सुरेश चन्द्र खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. मेसर्स केसरिया कॉटन सप्लायर्स प्रो० अनिल कुमार पिता बुद्धराज बापना निवासी केसरिया कपास फैक्ट्री सावलियाजी मंदिर के पास पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. सुनिल कुमार पिता बुद्धराज बापना निवासी केसरिया कपास फैक्ट्री सावलियाजी मंदिर के पास पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री मुकेश कुमार चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-03.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राग पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की वैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1038/2 रकबा 0.53 हे०, आराजी संख्या 482 रकबा 0.01 हे०, आराजी संख्या 483/1 रकबा 0.1923 हे०, आराजी संख्या 484 रकबा 0.2136 हे० कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.94 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 670 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्यत् 2074 से 2077संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी जानने की इस्तदुआ की।


जिला भीलवाड़ा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1038/2 रकबा 0.53 हे0, आराजी संख्या 482 रकबा 0.01 हे0, आराजी संख्या 483/1 रकबा 0.1923 हे0, आराजी संख्या 484/1 रकबा 0.2136 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.94 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 670 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडी)
गंगापुर जिला नालवाड़ा